संख्याः 2829 / 79–6 / 2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2007

**विषयः प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत् निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत् निरीक्षण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्याः 456 / 79–6–06–1 (1) / 06, दिनांक 29.03.2006 एवं शासनादेश संख्याः 2166 / 79–6–2007, दिनांक 06.08.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपको विदित है कि उक्त योजना को प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी दिनांक 01.10.2007 से लागू कर दिया गया है। दिनांक 11.10.2007 को आयोजित वीडियो कान्फ्रन्सिंग में हुई चर्चा में इस सम्बन्ध में आपको मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके है।

उक्त के क्रम में अग्रेत्तर यह निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जनपद का प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी सप्ताह में न्यूनतम दो विद्यालयों का निरीक्षण मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से करे एवं अपनी आख्या सतत् रूप से आपको उपलब्ध कराये।

जिला स्तरीय बैठकों में इन निरीक्षण आख्योओं पर चर्चा की जाय एवं अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय
ह0
**(प्रशान्त कुमार मिश्र)**
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

ह0
**(रोहित नंदन)**
प्रमुख सचिव